

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक:पं012(5)चिस्वा / 2 / 18 / आर-2636 / आई.डी. 1592

जयपुर,दिनांक: 6-8-18

आदेश

डॉ0 राजेश भास्कर, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मिर्जवास लक्ष्मणगढ (सीकर) का चयन Maxhealthcare Pvt. Ltd शालीमार बाग, नई दिल्ली में होने के कारण DNB Emergency Medicine कोर्स करने हेतु दिनांक 21.07.2018 से 20.07.2021 तक 3 वर्ष का अध्ययन अवकाश निम्नांकित शर्तों के अधीन स्वीकृत किया जाता है:-


- 1- राजस्थान सेवा नियम के नियमों के नियम 121-ए के अन्तर्गत बन्ध पत्र प्राप्त किया जायेगा।
- 2- स्वीकृत अध्ययन अवकाश में अभिवृद्धि नहीं की जायेगी।
- 3- अध्ययन पश्चात् किसी इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग नहीं करेंगे।

आज्ञा से,


शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1- निदेशक(जन स्वा)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,राज0जयपुर।
- 2- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर।
- 3- डॉ0 राजेश भास्कर, चि0अ0, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मिर्जवास लक्ष्मणगढ (सीकर) को प्रेषित कर लेख है कि भविष्य में नियमों की पालना करने की चेतावनी देते हुए निर्देशित किया जाता है।
- 4- रक्षित पत्रावली।


सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार


निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : ई-26/व0वि0/आर-2636/2018/ १४४

दिनांक : ०६/४/१८

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीकर।
2. प्रभारी अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मिर्जावास लक्ष्मणगढ़ सीकर।
3. डा० राजेश भास्कर, चि०अ० द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
4. निजी पत्रावली / प्रभारी सीकर स्वयं



प्रशासनिक अधिकारी
राजपत्रित अनुभाग
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर